ऋणों से उनकी प्रगति तथा विकास में बाधा पड़ेगी; और

(ग) इस संबंध में भावी योजनायें क्या है और राज्यों की मांगे क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट CXLVII, अनुबंध सं० 8]

(ख) और (ग) प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पद्धति का निर्धारण वित्त आयोग के परिनिर्णय द्वारा किया जाता है । राज्यों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् 7वें और 8वें वित्त आयोग ने वर्तमान पद्धति निकाली है जिसके अनुसार :

(i) सूखे पर व्यय के लिए--"... सम्बंधित राज्य अपनी योजना से योगदान दें, केन्द्रीय दलों और राहत से सम्बंधित उच्च स्तरीय समिति योगदान का आकलन करती है। लेकिन यह योगदान वार्षिक योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे उस वर्ष में राज्य के योजना परिव्यय के अतिरिक्त समझा जाए । राज्यों को यह योगदान दे सकने योग्य बनाने के लिए केन्द्र सहायता प्रदान करता है जिसे अग्रिम सहायता योजना माना जाता है । यदि केन्द्रीय दल और राहत से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय की आवश्यकता, योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत के भीतर ही पूरी न हो सकती हो तो अतिरिक्त व्यय आपदा को विशेष भीषणता के रूप में लिया जाएगा जो कि केन्द्र सरकार को, राज्य को इस अतिरिक्त व्यय की पूरी सहायता देने के लिए बाध्य करेगा । यह सहायता, आधी अनुदान और आधी ऋण के रूप में दी जाती है, और इसे राज्य की योजना सहायता में समायोजित नहीं किया जा सकता ।"

(ii) बाढ़, तूफान और अचानक आने वाली अन्य आपदाओं के पश्चात् राहत, मरम्मत और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के पुनःस्थापन से सम्बन्धित व्यय के लिए--"..., कुल व्यय के अंतर की अधिकता के 75 प्रतिशत तक गैर-योजना अनुदान के रूप में सहायता दी जाए । शेष 25 प्रतिशत का भार राज्य द्वारा उठाया जाए ताकि बेकार खर्चों को हतोत्साहित किया जा सके । केन्द्रीय सहायता को राज्य की योजना या योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है । .....यदि आपदा "अपूर्व प्रचण्ड" हो तो केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह सम्बन्धित राज्यों को सुझाए गए मानदंडों से भी अधिक उदार ढंग से सहायता बढ़ा दे ।"

दूसरे वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सीमांत धनराशि की अवधारणा को आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य है कि "... सामान्य से अधिक प्रचण्ड आपदाओं की स्थिति में सीमांत धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए । केन्द्रीय सहायता केवल तभी प्रदान की जाए जब व्यय की आवश्यकताएं "सीमांत धनराशि" से अधिक हो जाएं ।"

जहां तक भावी नीति का सम्बन्ध है, 9वें वित्त आयोग से पहले ही कह दिया गया है कि "प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों द्वारा राहत व्यय के लिए वित्त व्यवस्था करने के संदर्भ में नीतियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए और ऐसे परिवर्तन सुझाएं जिन्हें यह उचित समझता हो--" राज्य अपना दृष्टिकोण आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते है ।

Amount earmarked for transport, Irrigation and communication in U.P.

230. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) the total amount earmarked for transport, irrigation and communication to Uttar Pradesh during the last 3 years;

(b) the names of projects to be covered thereunder; and

(c) the total amount earmarked for U.P. in the Seventh Five Year Plan period for the purpose?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) and (c) Statement-I is enclosed (*See* below).

(b) Statement-II is enclosed (*See* below)

Statement-I

Amounts allocated for transport irrigation and Communication sectors during the last three years and in the Seventh Five Year Plan (1985—90) *period in the State Plans of Uttar Pradesh*

(*Rs. crores*)

Plans	Sectors		
	Transport	Irrigation	Communication
Seventh Five Year Plan (1985—90)	1053.49	1420.00	..
Annual Plan (1985-86)	173.69	185.10	..
Annual Plan (1986-87)	197.40	231.07	..
Annual Plan (1987-88)	224.94	295.05	..

Statement-II

Names of the on-going important Major and medium Irrigation projects under the Seventh Plan of Uttar Pradesh

1. Modernisation of Upper Ganga Canal
2. Tehri Dam
3. Lakhwar Vyasi Dam
4. Gandak Canal
5. Sarda Sahayak
6. Madhya Ganga Canal
7. Saryu Nahar Pariyojna
8. Okhla Barrage
9. Eastern Ganga Canal
10. Rajghat Dam
11. Shahjad Dam
12. Remodelling of Bhim Goda
13. I/c of Narayanpur Pump Canal
14. Sone Pump Canal
15. Bansagar Dam

NOTE: Under the Transport sector, there are schemes/programmes and not major projects.

Strength of NCC Cadets

231. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the present strength of NCC cadets alongwith the number of NCC officers in the Central Universities during the last academic session;

(b) the corresponding strength of NCC cadets in the Central Universities during the years 1986-87 and 1987-88; and

(c) the total amount spent on NCC by the Central Universities during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) and (b) The NCC cadet strength is compiled as on 31st March every year. The strength in the Central Universities as on 31st March, 1987 and 31st March, 1988 was